संख्या: 190 /छिहत्तर-1-2020-26सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक २५ जनवरी, 2020

विषय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार "जल जीवन मिशन" का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

अवगत हैं कि ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की गाइड लाइन निर्गत की गई हैं। उक्त गाइड लाइन्स https://jalshakti-ddws.gov.in/documents/guidelines पर उपलब्ध है।

2 भारत सरकार द्वारा कियान्वित जल जीवन मिशन का प्रमुख ध्येय पाइप पेयजल योजनाओ से अनाच्छादित प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को मार्च 2024 तक पाइप पेयजल योजनाओ से आच्छादित करते हुए 55 एल0पी0सी0डी0 सेवा स्तर मानक के अनुसार क्रियाशील नल संयोजन के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जल जीवन मिशन से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाहियॉ की जानी अपेक्षित है:-

1 उक्त लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु ग्राम कार्य-योजना (Village Action Plan), जनपद कार्य-योजना (District Action Plan) एवं राज्य कार्य-योजना (State Action Plan) तैयार करते हुए प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य-योजना (Annual Action Plan) बनाकर कार्यवाही की जाय।

2 पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम के अन्दर की आधारभूत संरचना (In village infrastructure) लागत का 10 प्रतिशत अथवा जिन ग्रामों में अनुसूचित/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, से 05 प्रतिशत अंशदान समुदाय द्वारा दिया जाना है। उक्त अंशदान नगद, सामग्री, श्रम इत्यादि के रूप में दिया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक आहूत कर उक्त अशदान दिये जाने की सहमति कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों से ली जाय। इसी प्रकार योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु भी ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

3 जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सहयोग से ग्राम- कार्य योजना (VAP) तैयार करने एव पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। ग्राम सभा की बैठक मे उपस्थित सदस्यों में से कम से कम 80 प्रतिशत सदस्यों की सहमति के आधार पर ग्राम- कार्य योजना (VAP) का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जाय।

4 जनपद में निर्माणाधीन शत-प्रतिशत पेयजल योजनाओं में क्रियाशील गृह संयोजन (FHTC) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार पूर्व में निर्मित पेयजल योजनाओं में भी 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत Retrofitting कराते हुए क्रियाशील गृह संयोजन (FHTC) की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

-2-

5 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ई–टेन्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए आपूर्तिकर्ता एवं कार्यदायी फर्मो/संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाय। ग्राम पंचायत/ ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति के परामर्श से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त सूचीबद्ध कार्यदायी फर्मो मे से किसी फर्म/ संस्था से पाइप पेयजल योजना का कार्य कराने का निर्णय लिया जायेगा।

6 कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट करते हुए कार्यदायी फर्म/ संस्था को भुगतान किए जाने से पूर्व एजेंसी द्वारा अनिवार्यतः इन्सपेक्शन कराया जाय।

7 कार्य समाप्ति के उपरान्त Defect liability period में पाइप पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन का दायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

8 बहुल ग्राम योजना की स्थिति में 02–05 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

9 इसी प्रकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं/स्वंय सेवी संस्थाओं (Implementation Support Agency) का इम्पैनलमेन्ट किया जाना है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विभिन्न ग्रामों हेतु सहयोगी संस्थाओं/स्वंय सेवी संस्थाओं की आवश्यकता का आंकलन करते हुए उक्त सूचीबद्ध सहयोगी संस्थाओं में से आवश्यकतानुसार संस्थाओं को जनपद में प्रचार–प्रसार हेतु आबद्ध किया जायेगा।

10 कियाशील नल-जल संयोजन (FHTC) के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुशल मानव संसाधन, यथा–मैशन (राज मिस्त्री), प्लम्बर, फिटर, इलैक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक इत्यादि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र (PMKVK) के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाय।

11 'जल जीवन मिशन' के कियान्वयन में राज्य स्तर पर–**राज्य पेयजल एवं स्वच्छता** मिशन, जिला स्तर पर **जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन** एवं ग्राम स्तर पर–**ग्राम** पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है।

12 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत नोडल विभाग नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से डिजाइन इस्टीमेट तैयार कराते हुए योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

13 'जल जीवन मिशन' की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण पाइप योजनाओं के कियान्वयन हेतु Public Health Engineering Department/ Rural Water Supply Department को नोडल बनाये जाने की व्यवस्था के कम में उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा नोडल विभाग के कार्यो का निर्वहन किया जायेगा।

14 जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम की आंतरिक जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा तक की जायेगी एवं प्रदत्त अधिकार की सीमा से इतर परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जायेगी।

15 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत केन्द्रांश 50 प्रतिशत एवं राज्यांश 50 प्रतिशत की व्यवस्था है। कुल धनराशि में 5 प्रतिशत की सीमा तक सपोर्ट एक्टिविटी एवं 2 प्रतिशत की सीमा तक जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु व्यय की व्यवस्था प्राविधानित है। योजनान्तर्गत समस्त वित्तीय लेन–देन पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यथावत् अंगीकृत करते हुए प्रदेश में 'जल जीवन मिशन' के प्रभावी कियान्वयन का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार शासनादेश मे उल्लिखित बेबसाइट https://jalshakti-ddws.gov.in/documents/guidelines से जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों को डाउनलोड करते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें। उक्त के साथ ही जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक तत्काल बुलाकर जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के प्राविधानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को अवगत कराते हुए उन्हें भिज्ञ किया जाय। साथ ही जनपद स्तर पर समस्त ग्राम प्रधानों की बैठक अतिशीघ्र आयोजित कर पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में उन्हे विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करायी जाय, जिससे मिशन के उद्देश्यों का प्रदेश में सफल कियान्वयन किया जा सके।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 190 /छिहत्तर-1-2020-25 सम/2019,तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार।
(3) प्रधान निजी सचिव, मा0 मत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन। नगर विकास,
(7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन/ वित्त, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायती राज विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग।
(11) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(12) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)
(14) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश। (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।